डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 23/2023-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ एएआई-पटना/सीपी-II/2023-28

परामर्श पत्र संख्या 23/2023-24

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना (पीएटी) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2023 से 31.03.2028) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 13 जनवरी, 2024

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉमप्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना (पीएटी) ऐरा संशोधन अधिनियम, 2019 और 2021 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 2(i) के अनुसार वर्ष 2016-17 से प्रमुख हवाईअड्डा है। वित्त वर्ष 2019-20 (महामारी से पूर्व वाला वर्ष होने के कारण) में इस हवाईअड्डे से यात्री आवागमन लगभग 4.53 एमपीपीए था। कोविड-19 महामारी के बाद वित्त वर्ष 2022-23 में हवाईअड्डे का यात्री यातायात लगातार बढ़ता गया और वित्त वर्ष 2019-20 के यातायात से इसमें 83% वृद्धि (अर्थात 3.75 एमपीपीए) हो गई है।

प्राधिकरण ने हवाई यातायात के संबंध में सितम्बर, 2023 तक उपलब्ध समस्त जानकारी, हवाईअड्डा प्रचालकों, आईएटीए, एसीआई जैसे उद्योग निकायों और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के मत को ध्यान में रखकर कारोबार संबंधी मौजूदा परिदृश्य के संभावित परिवर्तनों और अनिश्चितताओं के कारण यातायात एवं अन्य विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों में आवश्यक समायोजन किए हैं।

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2023) के सभी पांच टैरिफ वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (पटना अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए लेखापरीक्षित कच्चे मिलान के रूप में) और द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2028) के अनुमानों को मान लिया है।

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र i) हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) के संबंध में प्राधिकरण के विश्लेषण और अवलोकन की पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव पेश करके जारी किया है।

प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा, विशेषताओं को ध्यान में रखेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 13 जनवरी, 2024 के परामर्श पत्र संख्या 23/2023-24 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : director-ps@aera.gov.in, satish.kr@aera.gov.in.,prabhjot.marwah@nic.in
प्रति secretary@aera.gov.in,

हितधारकों की परामर्श बैठक	:	23 जनवरी, 2024
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	02 फरवरी, 2024
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	09 फरवरी, 2024

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या 011-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

15 *प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 4 : प्रथम नियंत्रण अवधि का ट्रूअप

4.11.1 तालिका 9 में बताए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

4.11.2 तालिका 10 में उल्लेख किए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.11.3 तालिका 11 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए आरएबी को मानना।

4.11.4 तालिका 13 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के प्रयोजनार्थ एफआरओआर को मानना।

4.11.5 प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के प्रयोजनार्थ तालिका 14 की प्रस्तुति के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.6 प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के प्रयोजनार्थ तालिका 20 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

4.11.7 तालिका 23 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए पीआईए के लिए वास्तविक वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.8 तालिका 24 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए पीआईए के लिए एआरआर और कम वसूली को मानना तथा इस कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 5: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

5.2.1 पीआईए के लिए तालिका 28 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम और यात्री यातायात को मानना।

5.2.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम और यात्री) को ट्रूअप करना।

अध्याय 6: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार

6.5.1 तालिका 30 में दिए गए विवरण के अनुसार 01 अप्रैल, 2023 को सकल परिसंपत्ति ब्लॉक के वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन को मानना।

6.5.2 तालिका 38 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण को मानना।

6.5.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय लागत कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पूंजीगत व्यय को ट्रू-अप करना।

6.5.4 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। इसके अतिरिक्त यदि परियोजना पूर्ण होने में विलंब एएआई या इसकी सांविदाकारी एजेंसी के नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण की वजह से होता है और इसे उचित रूप से सिद्ध कर दिया जाता है तो तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक लागत को ट्रू-अप करते समय प्राधिकरण इसे मान लेगा।

6.5.5 तालिका 40 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानना।

6.5.6 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को ट्रू-अप करना।

6.5.7 पीआईए के लिए तालिका 42 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

6.5.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को ट्रू-अप करना।

अध्याय 7 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

7.3.1 एआई द्वारा प्रस्तावित 8.10 % की ऋण की लागत को मानना।

7.3.2 14 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।

7.3.3 तालिका 48 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पीआईए के लिए 13% के एफआरओआर को मानना।

7.3.4 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक भारित औसतन लक्षित अनुपात के आधार पर एफआरओआर को टू-अप करना।

अध्याय 8 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

8.3.1 पीआईए के लिए दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 9: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

9.3.1 तालिका 55 के अनुसार पीआईए के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान पीआईए के लिए एएआई द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 10: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

10.3.1 पीआईए के लिए तालिका 59 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

10.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पीआईए के लिए एएआई द्वारा अर्जित वास्तविक गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

अध्याय 11 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.3.1 पीआईए के लिए तालिका 62 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

11.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर वैमानिक कर राशि को उपयुक्त ढंग से टू-अप करना।

अध्याय 12: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.3.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न मानना।

अध्याय 13 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

13.3.1 पीआईए के लिए तालिका 65 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और मुनाफे को मानना।

अध्याय 14 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

14.3.1 तालिका 69 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पीआईए के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

14.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को ट्र-अप करना।

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 02 फरवरी, 2024 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, **प्रशासनिक कॉम्पलेक्स**, **सफदरजंग हवाईअड्डा**,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)